न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 92/2024
अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. सतवीर पुत्र कमला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 89/76 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 25/26 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी के पिता गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है तथा गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम की एक पुत्री कमला भी फौत हो चुकी है जिसकी एकमात्र वारिस प्रतिवादी स0 3 है। गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषित किया जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम का देहान्त हो चुका है तथा गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम की एक पुत्री कमला भी फौत हो चुकी है जिसकी एकमात्र वारिस प्रतिवादी स0 3 है। गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 89/76 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 25/26 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि वादी के पिता गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता का देहान्त हो चुका है तथा गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम की एक पुत्री कमला भी फौत हो चुकी है जिसकी एकमात्र वारिस प्रतिवादी स0 3 है। गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 है जो गोपाल उर्फ गोपालराम पुत्र चुनीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी, वादी द्वारा उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 89/76 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे मृतक गोपाल पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 25/26 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में मृतक गोपालराम पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनों खातो में वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 92/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जगदीश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सावित्री पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. सतवीर पुत्र कमला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 92 सन 2024 निर्णय दिनांक 19/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 89/76 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे मृतक गोपाल पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 25/26 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में मृतक गोपालराम पुत्र चुनीराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनों खातो में वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:57 IST
Reason: SelfAttested